स्वच्छ झाँसी

कार्यालय नगर निगम, झाँसी

हरित झाँसी

संशोधित निविदा सूचना

दिनांक 05.12.18 को दैनिक जागरण एवं दैनिक अमर उजाला समाचार पत्रों में नगर निगम झांसी कार्यालय के नजारत विभाग द्वारा शीत कालीन अलाव व्यवस्था वर्ष–2018–19 हेतु निविदा आमंत्रण का प्रकाशन कराया गया था, उक्त के वावत सूचित किया जाता है, कि शासनादेश के अनुसार निविदाएं ई–टेंडरिंग के माध्यम से आमंत्रित की जायेंगी। जिसके क्रम में–

ई – निविदा सूचना

झाँसी नगर निगम झाँसी में पंजीकृत व पात्र ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण http://etender.up.nic.in के माध्यम से निम्नलिखित टेण्डर शैड्यूल के अनुसार आमंत्रित की जाती है। प्रतिभूति की धनराशि केवल राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 के रूप में देय होगी, जिसे नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी के नाम बंधक करना अनिवार्य होगा :–

क्रम	विवरण	प्रारम्भ दिनांक एवं समय	अन्तिम दिनांक एवं समय
1	निविदा देखने / डाउनलोड / खरीदने की तिथि	15.12.18 12:00 PM	17.12.18 12:00 PM
2	बिड समाप्ति की तिथि एवं समय	17.12.18 12:00 PM	17.12.18 12:00 PM

नोट :–

1. कार्यों से सम्बन्धित निविदा सूचना एवं शर्तें नगर निगम झाँसी की वेवसाइट www.jnnjhansi.com में देखी जा सकती है।
2. निविदा खोलने की तिथि में अगर अवकाश होता है, तो निविदा अगले दिवस खोली जायेगी।
3. ई–निविदा में कोई भी संशोधन / परिमार्जन / परिवर्तन की सूचना को बेवसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।
4. एक अथवा सभी निविदाओं को कारण बताये बिना निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा।

07/12/18

वरिष्ठ नजारत प्रभारी
नगर निगम झांसी।

नगर आयुक्त
नगर निगम झांसी।

पत्रांक :– 956 / नजा0वि0 / न0नि0 / 2018–19

दिनांक :– 07.12.18

प्रतिलिपि –
1. सम्पादक दैनिक जागरण / अमर उजाला झांसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना का प्रकाशन अपने सम्मानीय समाचार पत्र के आगामी अंक के मुख्य पृष्ठ को छोड़कर 08 के फांट में शासकीय दरों पर एक बार के लिये प्रकाशित करसमाचार पत्र की 03 प्रतियों के साथ बिल भिजवाने का कष्ट करें।
2. सदस्य, निविदा समिति, नगर निगम झाँसी को इस आशय से उक्त तिथि में निविदा सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करायें।
3. नाजिर / प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम झाँसी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना पट पर चस्पा करायें।
4. पी.ए. नगर आयुक्त को विज्ञापन पंजिका में दर्ज करने हेतु ।
5. आई0टी0 एक्सपर्ट, नगर निगम, झांसी को बेवसाइट पर अपलोड हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम झाँसी।

झाँसी नगर निगम झाँसी।

वर्ष 2018–19 अलाव व्यवस्था हेतु निविदा के माध्यम से जलाऊ लकड़ी क्रय किये जाने के सम्बन्ध में नियम व शर्तें।

1 . निविदा डालने के लिये वही निविदादात पात्र होगा, जिसकी स्वयं की जलाऊ लकड़ी विक्रय की दुकान होगी, व फर्म/दुकान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

2 . निविदादात को वन विभाग से पंजीकृत होने का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा व पंजीयन नं0 निविदा प्रपत्र में भरना होगा।

3 . निविदादाता को पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4 . यह कि निविदादता को टिन नं0 की छायाप्रति व टिन नं0 निविदा प्रपत्र में भरना होगा।

5 . यह कि, निविदादाता को उक्त कार्य का तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभवों की प्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

6 . निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ रू0 50,000/–(पचास हजार रू0 मात्र)का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर चैक धरोहर राशि के रूप में नगर आयुक्त नगर निगम झांसी के पक्ष में देय होगा।

7 . निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 3000/–(तीन हजार रू0 मात्र) है, तथा निविदा प्रपत्र निविदादता को ही उक्त निविदा प्रपत्र मूल्य नगद जमाकर रसीद प्रस्तुत करने पर ही निर्गत किया जायेगा।

8 . आपूर्ति की जाने बाली जलाऊ लकड़ी का मानक 80 प्रतिशत मोटी परन्तु 02 फुट से अधिक व 1 फुट से क नही, होनी चाहिये, 20 प्रतिशत पतली लकड़ी 4 से 6 इंच मोटी होनी चाहिये। गीली/हरी लकड़ी तथा न जलने योग्य लकड़ी की आपूर्ति कदापि स्वीकार नहीं होगी।

9 . प्राप्त निविदा दरें स्वीकार एवं अस्वीकार करने तथा निविदा के सम्बन्ध में निर्णय के समस्त अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगें। अपूर्ण अथवा मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

10 . निविदा प्रपत्र में मूल्य शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट लिखित होना चाहिये। निविदा प्रपत्र में इंगित स्थान पर दरें (सभीकरों सहित) अंकित करें।

11 . सफल निविदादाता को आपूर्ति नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी/अधीनस्थ द्वारा मांग के अनुरूप स्वीकृत निर्धारित दर पर करनी होगी।अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आपूर्ति आदेश के अनुसार आपूर्ति अबिलम्ब करना अनिवार्य होगा। आपूर्ति हेतु लकड़ी हरी, गीली अथवा जलने योग्य न पाये जाने पर एवं समय सीमा के भीतर न होन पर आपूर्तिकर्ता की जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी, तथा आपूर्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

12 . निविदा की शर्तों में शिथिलता करने का अधिकार नगर निगम ,झांसी में निहित होगा। नगर आयुक्त द्वारा लिये गये कोई भी निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार निविदादाता को नही होगा।

13 . यह कि, शर्तों के अनुसार निविदा के साथ सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। अपूर्ण निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

यह कि मैनें उक्त नियम व शर्तें (एक लगायत तेरह) का गम्भीरता पूर्व क अध्ययन कर लिया है, एवं मुझे उपरोक्त नियम व शर्ते स्वीकार है।

निविदादाता का पूरा नाम व पता..
दुकान/फर्म का नाम व पता..
निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर...
मोबाइल एवं दूरभाष नं0..

04/12/18

वरिष्ठ नजारत प्रभारी
नगर निगम झांसी